रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219680
CG-DL-E-01062020-219680

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2020/ज्येष्ठ 11, 1942
No. 1532] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020/JYAISTHA 11, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2020

का.आ. 1702(अ).—'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 सितंबर, 2006 के सां. आ. 1642 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतदद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है, नामत:—

i. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;

ii. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;

iii. मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

यह अधिसूचना 01.07.2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 2/1(5)/2019-पीएंडजी/नीति (खंड-IV)]

ए. के. शर्मा, सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2020

S.O. 1702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 of the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Small Scale Industries, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section(ii), vide S.O. 1642(E), dated the 30th September 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies the following criteria for classification of micro, small and medium enterprises, namely:—

(i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

(iii) a medium enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees.

This notification shall come into effect from 01.07.2020.

[F. No. 2/1(5)/2019-P&G/Policy (Pt.-IV)]

A. K. SHARMA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.01 22:12:29 +05'30'